



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/271

दिनांक: 02.07.2026

सेवा में

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्यों को

, महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) - निर्यात दिशा के अंतर्गत व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन।

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने **व्यापार सूचना संख्या 09/2026-27 दिनांक 01 जुलाई 2026** जारी की है, जो व्यापार सूचना संख्या 26/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026 के क्रम में है, जिसमें निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) - निर्यात दिशा के अंतर्गत व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमता (टीआरएसीई) के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए हैं।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं:

- **गतिशील सूची** – प्रमाणपत्रों की सूची (इस व्यापार सूचना में अनुलग्नक-1) अब गतिशील है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
- **MSME सहायता** – सूक्ष्म एवं लघु: वास्तविक लागत का 95% तक (लागू करों, शुल्कों और उपकरणों को घटाकर) या अधिसूचित सीमा, जो भी कम हो। मध्यम: वास्तविक लागत का 80% तक (लागू करों, शुल्कों और उपकरणों को घटाकर) या अधिसूचित सीमा, जो भी कम हो।
- **भुगतान** – दो किस्तों में: 50% प्रमाणीकरण के बाद, 50% निर्यात के बाद।
- **प्रतिपूर्ति दावे** – दो चरणों में दाखिल किए जाते हैं (प्रमाणीकरण के बाद आरसी-1, निर्यात के बाद आरसी-2)। निर्यात का प्रमाण 2 वर्षों के भीतर प्रस्तुत करना होगा; अन्यथा दावे रद्द हो जाएंगे और वसूली लागू हो सकती है।
- **शासन** – सीमा निर्धारण और प्रमाणन सूची अद्यतन की निगरानी के लिए उप-समिति का गठन किया गया है।

व्यापार सूचना संख्या 26/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक व्यापार सूचना में दिए गए अद्यतन दिशानिर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और तदनुसार अपनी अनुपालन और प्रमाणन प्रक्रियाओं को संरेखित करें।

यहां देखें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260702112131.pdf

इसके अलावा, कृपया संलग्न व्यापार सूचना संख्या 26/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026 को भी देखें।

यहां देखें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260702112202.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल